तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नरेश तंवर बनाम लो.सू.अ. (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 208/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

23.11.20

अपीलार्थी नरेश तंवर पुत्र गजराजसिंह, पता प्लॉट नं. 1, न्यू डिफेन्स कॉलानी, गोनेर रोड़, जयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.07.2020 में उसके द्वारा (1) TGT 2013 लेवल–2 गणित विज्ञान की फाईनल कटऑफ मार्क्स प्रत्येक श्रेणीवार कितनी रही व अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को पेश हुई तथा जिला परिषद जोधपुर से इस कार्यालय को प्रेषित की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) से जरिये पत्रांक 9924 दिनांक 13.11.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी नरेश तंवर द्वारा द्वितीय बार आवेदन 06.07.2020 को किया गया वो दिनांक 08.07.2020 को प्राप्त हुआ जिसका प्रति उत्तर कार्यालय के पत्रांक 9028 दिनांक 06.08.20 के द्वारा दिया गया। इस पत्र के द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचना प्राप्त करने के लिये सूचना को चिन्हित करने हेतु कार्यालय में बुलाया गया था, परन्तु प्रार्थी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सूचना का उल्लेख किया है उसके बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना चिन्हित करने का पत्र जारी किया। प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना किस प्रकार अस्पष्ट है जिस कारण लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराना कठिनाई हो रही हो, ऐसा लोक सूचना अधिकारी ने पत्र में कारण उल्लेखित नहीं है। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना तैयार न कर प्रार्थी को कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना चिन्हित करने का पत्र जारी करना विधिक प्रावधानों का आत्मसात् न करने का फल है जो खेदजनक है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2020.12.16 15:46:08 IST
Reason: SelfAttested